रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1981/फाल्गुन 16, 1902

No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1981/PHALGUNA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1981

संख्या–14016/1/77-पी०सी०III.—देश में हाल ही में प्लास्टिक की उपलब्धता महत्वपूर्ण बढ़ गई है और उत्पादन के लिए भावी योजनाओं द्वारा देश में प्लास्टिक रिजिन्स की काफी बड़ी मात्राएं उपलब्ध कराये जाने की संभावना है। विश्व में प्लास्टिक्स का प्रयोग बड़ी तेजी से बढ़ गया है और सामग्री और ऊर्जा के संरक्षण में इसका विशेष महत्व है, कृषि सम्बन्धी उत्पादन बढ़ाने में इसका पर्याप्त योगदान रहा है। भारत सरकार प्लास्टिक्स के उपयोग का कृषि और सिंचाई में बढ़ाने और विकसित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है जो कि कृषि के उत्पादन में विकास करने और कार्यकुशलता लाने के लिए एक मुख्य उपाय होगा। कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को बढ़ाने और विकसित करने के लिए सरकार ने कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे :—

1. डा० जी० वी० के० राव, — अध्यक्ष
   भूतपूर्व सदस्य,
   योजना आयोग।

2. डा० एन० एस० रंधावा, — सदस्य
   उप-महानिदेशक,
   इंडियन काउंसिल ग्राफ एग्रीकल्चरल रिसर्च

3. श्री एस० एस० सचदेव, — सदस्य
   सलाहकार (पेट्रो-रसायन),
   पेट्रोलियम विभाग,
   नई दिल्ली।

4. प्रो० ए० सी० पांडया, — सदस्य
   निदेशक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ग्राफ
   एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग,
   अतिरिक्त ए-ब्लाक, 11 तल,
   गुरु तेग बहादुर काम्पलेक्स, टी० टी० नगर,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

5. डा० ए० एम० माइकल, — सदस्य
   प्रोजेक्ट डाइरेक्टर,
   वाटर टेक्नालोजी सेंटर,
   इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
   नई दिल्ली।

6. डा० के० कृष्णामूर्ति, — सदस्य
   संयुक्त आयुक्त,
   खाद्य विभाग,
   नई दिल्ली।

7. श्री एम० भाटिया, — सदस्य
   निदेशक, (एफ० एंड एफ० पी०,)
   खाद्य विभाग,
   नई दिल्ली।

8. श्री ए० आर० एस० मूर्ति, उप-सचिव, सिंचाई विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य

9. श्री के० मंजया, निदेशक (सिंचाई), सेंट्रल वाटर कमीशन, नई दिल्ली। — सदस्य

10. डा० एम० वरदाराजन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० बड़ोदा — सदस्य

11. श्री एस० नारायणस्वामी, अध्यक्ष, केमप्लास्ट, मद्रास। — सदस्य

12. श्री एम० पार्थासारथी, निदेशक, पोलियेन जनरल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मद्रास — सदस्य

13. श्री आई० पी० आनन्द, शिवालिक एग्रो पोली प्रोडक्टस लि०, नई दिल्ली। — सदस्य

14. श्री केशव प्रसाद, वेबिन इंडिया लिमिटेड, मद्रास। — सदस्य

15. श्री एम० पटवर्धन, नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई। — सदस्य

समिति की सचिव श्रीमती ललिता पी० सिंह जो पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में एक परियोजना अधिकारी हैं, समिति के काम में अपना सहयोग प्रदान करेंगी।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नप्रकार होंगे :—

(1) निम्नलिखित के संदर्भ में कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग की संभावनाओं का पुनरीक्षण :

(क) पौधे और फसल का संरक्षण ;

(ख) सिंचाई और जल का ईस्टतम उपयोग ;

(ग) कृमिनाशकों और पौधों की पोष्टिकता का उपयोग ;

(घ) कृषि उत्पादों का भंडारण और अनुरक्षण :

(ङ) अन्य सम्बद्ध क्षेत्र

(2) भारतीय परिस्थितियों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक्स के उपयोग की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पुनरीक्षण और भारतीय परिस्थिति में उपयुक्त स्थापित पद्धतियों के अनुरूप प्लास्टिक्स का उपयोग बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देना ;

(3) नये उत्पादों पर विस्तृत अध्ययन करने, नये उपयोगों और कृषि के क्षेत्र में प्लास्टिक्स सामग्री का प्रयोग के लिए अपेक्षित प्रणाली पर सुझाव देना ;

(4) कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोगों से वातावरण पर प्रभावों का पुनरीक्षण ;

(5) कृषि के प्रयोगों में जिसमें उद्योग के परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकीय समर्थन मार्गों और उपकरणों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्र में इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विद्यमान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिशें करना शामिल है, के लिए प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन के लिए वर्तमान सुविधाओं का पुनरीक्षण करना।

3. प्रारंभ में समिति की कार्य अवधि दो वर्ष के लिए होगी। समिति जितनी बार आवश्यक समझेगी बैठकें कर सकती है परन्तु एक तिमाही में कम से कम एक बार जरूर बैठक बुलायेगी। समिति अपनी अवधि की समाप्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी परन्तु जब जब आवश्यक होगा, वह अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. समिति के लिए अपेक्षित सचिवालय सम्बन्धी सहयोग पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिया जायेगा।

5. गैर सरकारी सदस्यों पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सम्बन्धी व्यय भारत सरकार (पेट्रोलियम विभाग) द्वारा वहन किया जायेगा। सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते सम्बन्धी व्यय सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा वहन किया जायेगा।

6. अगर आवश्यक होगा, सरकार समिति के गठन में हेर-फेर कर सकती है।

महेश प्रसाद माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th March, 1981

No. 14016/1/77-PC.III.—The availability of plastics materials in the country has increased substantially recently and the future plans of production are likely to make available very large quantities of plastics resins in the country. The use of plastics in the world has increased rapidly and has acquired special significance in the conservation of material, energy and has contributed greatly to increase production of agriculture produce. The Government of India has been considering the promotion and development of uses of plastics in agriculture and irrigation as a major step in improving agricultural yields and efficiencies. In order to promote and develop the use of plastics materials in agriculture and associated fields, the Government has decided to constitute a National Committee on the Use of Plastics in Agriculture; the Committee will consist of :—

1. Dr. G. V. K. Rao, former Member, Planning Commission. — Chairman

2. Dr. N. S. Randhawa, Dy. Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. — Member

3. Shri S. S. Sachdeva, Adviser (Petrochemicals), Department of Petroleum, New Delhi. — Member

4. Prof. A. C. Pandya, Director, Central Institute of Agricultural Engineering, Addl.-A-Block, II Floor, Guru Tegh Bahadur Complex, T. T. Nagar, Bhopal (M.P.). — Member

Dr. A. M. Michael, Project Director, Water Technology Centre, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. — Member

6. Dr. K. Krishnamurthy, Joint Commissioner, Department of Food, New Delhi. — Member

7. Shri M. Bhatia,
Director (F & FP),
Department of Food,
New Delhi. — Member

8. Shri A. R. S. Murthy,
Deputy Secretary,
Department of Irrigation,
New Delhi. — Member

9. Shri K. Manjiah,
Director (Irrigation),
Central Water Commission. — Member

10. Dr. S. Varadarajan,
Chairman and Managing Director,
Indian Petrochemicals Corpn Ltd.,
Baroda. — Member

11. Shri S. Narayanaswamy,
Chairman, Chemplast,
Madras. — Member

12. Shri M. Parthasarathy,
Director, Polyen General
Industries Pvt. Ltd., Madras. — Member

13. Shri I. P. Anand,
Shivalik Agro Poly Products Ltd.,
New Delhi.

14. Shri Keshav Prasad,
Wavin India Limited,
Madras. — Member

15. Shri M. Patwardhan,
National Organic Chemicals
Industries Limited,
Bombay. — Member

The Comittee will be assisted by Smt. Lalitha B. Singh, Project Officer in Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers, as Secretary of the Committee.

2. The terms of reference of the Committee would be as follows :—

(i) To review the possibilities of use of plastics in agriculture with special reference to—

(a) plant and crop protection ;

(b) irrigation and optimum use of water ;

(c) application of plant nutrients and pesticides ;

(d) handling and storage of agriculture products ;

(e) any other related area.

(ii) To review the overall economics of application of plastics in different areas under Indian conditions and to suggest measures for increased use of plastics consistent with the established practices which are suitable in the Indian context ;

(iii) Suggest in-depth studies on new products, new applications and on systems required for using plastics materials in agricultural sector

(iv) Review the impact of the use of plastics in agriculture on environment ;

(v) Review the existing facilities for the production of plastics products for use in agriculture including technological back-up for the conversion industry, availability of moulds and tools and to make recommendations on strengthening the existing system to promote the production of these products in the rural sector.

3. The term of the Committee will be initially for a period of two years. The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter. The Committee will submit its Report at the end of its term, but it should submit interim Reports as often as necessary.

4. The Secretarial assistance required for the Committee will be provided by the Department of Petroleum.

5. The expenditure on TA/DA of the non-official Members will be met by the Government of India (Department of Petroleum). The TA/DA of the Government officials will be met by the concerned administrative Ministeries/Departments.

6. Government may make suitable changes in the constitution of the Committee, if required.

M. P. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981